[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 11th October, 2019

G.S.R. ____(E).— In exercise of the powers conferred by sections 173, 177, 178 and section 186 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, in rule 11, in sub-rule (2), for the words "business of financing of companies", the words "business of financing industrial enterprises" shall be substituted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

Joint Secretary to the Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended as follows:-

G.S.R. 398 (E), dated the 12th June, 2014;
G.S.R. 590 (E), dated the 14th August, 2014;
G.S.R. 206 (E), dated the 18th March, 2015;
G.S.R. 971(E), dated the 14th December, 2015;
G.S.R. 309 (E), dated the 30th March, 2017;
G.S.R. 880 (E), dated the 13th July, 2017; and
G.S.R. 429 (E), dated the 7th May, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,) अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.___(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 177, धारा 178 और धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 11 के उपनियम
में, "कंपनी के वित्तपोषण का व्यवसाय" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक उद्यमों के वित्तपोषण का व्यवसाय" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/32/2013-सीएल-V-भाग] के.वी. आर. मट्रि (के.वी.आर. मूर्ति) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 240(अ) द्वारा तारीख 31 मार्च, 2014 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गएः-

- 1. सा.का.नि. 398(अ), तारीख 12 जून, 2014;
- 2. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 14 अगस्त, 2014;
- 3. सा.का.नि. 206(अ), तारीख 18 मार्च, 2015;
- 4. सा.का.नि. 971(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2015;
- 5. सा.का.नि. 309(अ), तारीख 30 मार्च, 2017;
- सा.का.नि. 880(अ), तारीख 13 जुलाई, 2017; और
- 7. सा.का.नि. 429(अ), तारीख 7 मई, 2018।